न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

छगन कुमार पुत्र जेठाजी, जाति– माली, निवासी–जावाल, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

(1) सांकला पुत्र छोगाजी, जाति– माली, निवासी– जावाल, तह. व जिला–सिरोही
(2) उका पुत्र छोगाजी, जाति–माली के कायम मुकामः–
2/1.चौथी देवी पत्नि उकाजी, जाति–माली, निवासी–जावाल, तह. व जिला–सिरोही
2/2.रमेश पुत्र उकाजी, जाति– माली, निवासी–जावाल, तह. व जिला– सिरोही
2/3.हिम्मत कुमार पुत्र उकाजी, जाति–माली, निवासी–जावाल, तह. व जिला–सिरोही
2/4.दिलीप कुमार पुत्र उकाजी, जाति–माली, निवासी–जावाल, तह. व जिला–सिरोही
2/5.मापिया पुत्री उकाजी पत्नि पूनमजी, जाति–माली, निवासी–आबूरोड़,जिला–सिरोही
2/6.गीता पुत्री उकाजी पत्नि थानाजी, जाति–माली, निवासी–भूतगांव,तहसील–सिरोही
2/7.सुन्दर पुत्री उकाजी पत्नि कैलाशजी, जाति–माली, निवासी–नवारा, तह. सिरोही
2/8.संतोष पुत्री उकाजी पत्नि गणेशजी, जाति–माली, निवासी–डेरना, तहसील–देलदर
(3) रुपा पुत्र छोगाजी, जाति–माली के कायम मुकामः–
3/1.लक्ष्मण पुत्र रुपाजी, जाति–माली, निवासी–जावाल, तहसील व जिला–सिरोही
3/2.सुरेश पुत्र रुपाजी, जाति–माली, निवासी–जावाल, तहसील व जिला–सिरोही
3/3.गंगा पुत्री रुपाजी पत्नि गोपालजी, जाति–माली,निवासी–नवारा, तहसील–सिरोही
(4) अर्जुन पुत्र जेठाजी, जाति– माली, निवासी– जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
(5) रतनी पुत्री जेठाजी, जाति– माली, निवासी– जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
(6) सीता देवी पुत्री जेठाजी, जाति–माली, निवासी– जावाल, तहसील व जिला–सिरोही
(7) बदाराम पुत्र जेठाजी, जाति–माली, निवासी–जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
(8) राधा बाई पुत्री मगाजी, जाति–माली, निवासी– जावाल, तहसील व जिला–सिरोही
(9) लहरी बाई पुत्री मगाजी, जाति–माली, निवासी– जावाल, तहसील व जिला–सिरोही
(10) सोपु देवी पुत्री मगाजी, जाति–माली, निवासी– जावाल, तहसील व जिला–सिरोही
(11) उप पंजीयक, सिरोही, जिला– सिरोही
(12) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 03/2023

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, प्रत्यर्थी संख्या 1, 2/1 से 2/8 व 3/1 से 3/3 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 12 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 27 अप्रेल, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2215 दिनांक 11.3.2004 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये [illegible] कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद [illegible] प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested

......पेज दो पर

कलक्टर
सिरोही (राज.)

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–1, 2/1 से 2/8 व 3/1 से 3/3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित हुये। प्रत्यर्थी संख्या–12 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसकी प्रति अपीलार्थी के वकील को दिलवाई गई।

(3) प्रकरण में दिनांक 06.4.2023 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 के दादा व पिता के पिता मगा पुत्र वालाजी के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल में आई हुई जिसके पुराने खसरा संख्या 556/1 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा, 557 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 560 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा, 561 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा, 556/1501 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 561/1502 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, 558 रकबा 14 बिस्वा व 559 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 73 बीघा 2 बिस्वा है। उक्त पुराने खसरा नम्बरों के नये खसरा संख्या 717 रकबा 0.4700 हेक्टेयर, खसरा संख्या 718 रकबा 1.1200 हेक्टेयर, खसरा संख्या 719 रकबा 0.4600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 722 रकबा 0.6100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 723 रकबा 0.6000 हेक्टेयर, खसरा संख्या 724 रकबा 0.6100 हेक्टेयर, 725 रकबा 0.6000 हेक्टेयर, खसरा संख्या 726 रकबा 0.8800 हेक्टेयर, खसरा संख्या 727 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 728 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, 729 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा संख्या 730 रकबा 0.8800 हेक्टेयर, 731 रकबा 0.8800 हेक्टेयर, खसरा संख्या 732 रकबा 0.1000 हेक्टैयर, खसरा संख्या 733 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, ख़सरा संख्या 734 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा संख्या 735 रकबा 0.1600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 736 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 737 रकबा 0.0200 हेक्टैयर, खसरा संख्या 738 रकबा 0.4500 हेक्टेयर, खसरा संख्या 739 रकबा 0.4500 हेक्टेयर, 740 रकबा 0.7500 हेक्टेयर, खसरा संख्या 741 रकबा 0.7600 हेक्टेयर व खसरा संख्या 742 रकबा 1.5100 हेक्टेयर कुल किता 24 रकबा 11.8200 हेक्टेयर है। उक्त वर्णित आराजी में मगा पुत्र वालाजी का 2/15 हिस्सा बतौर खातेदारी दर्ज है और जिनकी मृत्यु आज से 35 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृतक मगा पुत्र वालाजी के वारिसान नोपाजी (पुत्र) नाऔलाद फौत, राधा बाई (पुत्री), लहरी बाई (पुत्री), सोपु (पुत्री) व जेठाजी (पुत्र) है। जेठाजी के वारिसान बदाराम (पुत्र), छगन (पुत्र), अर्जुन (पुत्र), रतनी (पुत्री) व सीतादेवी (पुत्री) है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में मगा पुत्र वालाजी का 2/15 हक हिस्सा खातेदारी दर्ज है एवं अन्य खातेदार भी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हक हिस्से अनुसार खेती करते आ रहे है एवं उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में हक हिस्से के सन्दर्भ में गलत हक हिस्सा दर्ज होने के कारण एक राजस्व वाद संख्या 15/93 धारा 225 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही के निर्णय दिनांक 24.2.1987 की पालना में पारित निर्णय अनुसार सोमा पुत्र गलबा के स्थान पर अमरा पुत्र अदाजी का 1/60 व मगा पुत्र वालाजी का 1/5 के स्थान पर 2/5 वां हिस्सा व अमरा पुत्र अदाजी का 1/15 राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1838 दिनांक 04.9.1997 को दर्ज किया गया और उक्त अपील में अपीलार्थी के पिता व दादा पक्षकार थे व प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 भी पक्षकार थे। तत्पश्चात् नरपतसिंह पुत्र धरमसिंह ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की कृषि भूमि के विभाजन बाबात एक राजस्व वाद दिनांक 22.6.2000 को सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में पेश कियां और उसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 उका, रुपा, सांकला पुत्र छोगा व अन्य 21 भी सहखातेदार व अपीलान्ट मगा पुत्र वालाजी के वारिसान भी पक्षकार थे जो वाद वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन है। मगा पुत्र वालाजी की [illegible] उक्त कृषि भूमि

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर
[illegible] (राज.)

काबिज काश्त करते आ रहे है एवं मगाजी का एक पुत्र नोपाजी जो नाऔलाद फौत हो चुका है एवं दूसरा पुत्र जेठाराम जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसदार कृषि भूमि में काश्त करते आ रहे है जो मौके पर काबिज है जिसकी जानकारी प्रत्यर्थीगण को है। अपीलार्थी अपने पिता व दादाजी की कृषि भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त कर अपना जीवन यापन करते आ रहे है। अपीलार्थी जो कि काश्तकार है व कम पढे लिखे लोग है और उनके द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का को रिपोर्ट प्रस्तुत कर नामान्तरकरण हेतु निवेदन किया गया और अपीलार्थी इस विश्वास में रहा कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया होगा, क्योंकि मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे। उक्त कृषि भूमि पर सभी शामलाती काश्तकार होने से अपीलार्थी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि का विभाजन करवाने हेतु हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल की मांगनी की, जिस पर हल्का पटवारी ने बताया कि मगा पुत्र वालाजी के हक हिस्से की कृषि भूमि में नाम ही दर्ज नही है तब अपीलार्थी तहसील कार्यालय में जमाबन्दी की नकल की मांगनी की तथा नकल मिलने पर ज्ञात हुआ कि मगा पुत्र वालाजी का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज ही नही है। मगा पुत्र वालाजी के हक हिस्से की भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 10.10.1985 के आधार पर प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा पुत्र छोगाजी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 2215 दिनांक 11.3.2004 को स्वीकृत कर दिया। उक्त विक्रय विलेख में उक्त कृषि भूमि में मगा पुत्र वालाजी का 1/15 हक हिस्सा होना अंकित कर बेचान किया गया है, जबकि मगा पुत्र वालाजी का 2/15 हक हिस्सा था एवं जो खसरा संख्या विक्रय विलेख में 561 मी अंकित किया है उस नंबर का कोई खसरा नम्बर जमाबन्दी में दर्ज नही है। अपीलार्थी के पिता द्वारा प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा को अपने हक हिस्से की भूमि का अपने जीवनकाल में कभी भी बेचान नही किया गया है। यदि मगा पुत्र वालाजी द्वारा अपने जीवनकाल में उनके हक हिस्से की भूमि का बेचान सांकला, उका व रुपा जी को किया हुआ होता तो उस बेचान विक्रय विलेख दिनांक 10.10.1985 का नामान्तरकरण मगाजी की मृत्यु के बाद नही किया जाता। यदि मगा पुत्र वालाजी द्वारा सांकला, उका व रुपा को अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान किया हुआ होता तो उस बेचान का नामान्तरकरण भी बेचान होने के बाद ही सांकला, उका व रुपा द्वारा करवा दिया जाता। इस कारण से उक्त विक्रय विलेख पूर्णतया फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है। यह कि नरपतसिंह द्वारा इस भूमि के संबंध में सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में राजस्व वाद कृषि भूमि के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 22.6.2000 को प्रस्तुत किया गया और उसमें भी मगा पुत्र वालाजी के वारिसान व प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा पुत्रगण छोगाजी को व अन्य सह खातेदार पक्षकार थे। उक्त वाद में भी प्रत्यर्थी 1 से 3 ने यदि उक्त भूमि खरीद की होती तो अवश्य ही जवाब पेश कर बेचान करने के तथ्य का उल्लेख करते कि मगा पुत्र वालाजी का उक्त कृषि भूमि में कोई हिस्सा नही है बल्कि वह भूमि उनके द्वारा खरीद की जा चुकी है इसलिये मगा पुत्र वालाजी के वारिसदार का वाद में से नाम हटाया जावे, लेकिन प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा द्वारा ऐसा कोई कथन नही किया गया। वर्ष 2005 तक यह वाद न्यायालय में चला व उसके बाद वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा ने एक फर्जी विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों से मेल मिलाप कर मगा पुत्र वालाजी की मृत्यु के करीब 19 वर्ष बाद नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करवाया है। यदि वास्तव में मगा पुत्र वालाजी अपनी हिस्से की कृषि भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को किया होता तो अवश्य ही वर्ष 1997 में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 अवश्य ही उकत भूमि को खरीद करना बताकर अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु उच्च अपीलीय न्यायालय में निवेदन

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested

करते, लेकिन प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा द्वारा ऐसा नही किया गया। जबकि अपील न्यायालय द्वारा 1/5 मगा पुत्र वालाजी का जो हिस्सा दर्ज था उसके स्थान 2/15 हिस्सा दर्ज करने का आदेश पारित किया गया और जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 में राजस्व अधिकारी द्वारा करवाया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने यदि मगा पुत्र वालाजी की हक हिस्से की कृषि भूमि खरीद की होती तो उसी समय नामान्तरकरण दर्ज करवाते एवं मगा पुत्र वालाजी की मृत्यु का इन्तजार नही करते। इससे यह स्पष्ट है कि जो नामान्तरकरण 19 वर्ष बाद दर्ज करवाया है जिससे उक्त विक्रय विलेख सन्देह के घेरे में आता है। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु संख्या–2 में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि मगा पुत्र वालाजी द्वारा वर्ष 1983 में दिनांक 02.7.1983 को जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के द्वारा 1/15 वां हक हिस्सा बहक ओमकार पुत्र अदाजी को सप्रतिफल विक्रय कर दिया था। ऐसी स्थिति में मगा पुत्र वालाजी का उक्त कृषि भूमि में केवल 2/15 हक हिस्सा ही शेष रहता है तो मगा पुत्र वालाजी द्वारा प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा को अपना 1/5 वां हक हिस्सा विक्रय विलेख दिनांक 10.10.1985 के द्वारा विक्रय किया जाना कैसे संभव है। वैसें भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से से अधिक भूमि का किया गया बेचान शून्य है जैसा कि विधिक दृष्टान्त RRT 2023(1) Page 227 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विधिक दृष्टान्त RRD 2000 Page 211 में यह प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय के 5 वर्ष बाद विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है तो वह नामान्तरकरण सन्देह की श्रेणी में आता है। विधिक दृष्टान्त RRT 2008(1) Page 87 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोला लेकिन नामान्तरकरण में उल्लेखित खसरा संख्या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मेल नही खाते तो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण की अपीलार्थी को जानकारी नही थी तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 23/2000 लम्बित था एवं वर्तमान में यह माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में लम्बित है, इस कारण अपीलार्थी आश्वस्त था कि मगा पुत्र वालाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण मगा पुत्र वालाजी के उत्तराधिकारियों नाम से दर्ज हो गया होगा। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.12.2022 को हल्का पटवारी से जानकारी नही मिलने पर ई मित्र से जमाबंदी की नकल प्राप्त की जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज नही होने की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 22.12.2022 को हुई जिस पर अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। शून्य नामान्तरकरण के मामलों में अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई मियाद निर्धारित नही है ऐसे मामलों में किसी भी समय जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 1999 RCC Page 11, 1995 RRD Page 567, 2013(1) RLW Page 268(HC), 2022(1) RRT Page 493, 2018(1) RRT 186, 1991 [illegible] यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए [illegible] अवधि को कन्डोन करने तथा अपीलार्थी की अपील को स्वी[illegible] दिनांक 11.3.2004 को निरस्त करने व म[illegible] रियों के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested

....पेज पांच पर

नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, सिरोही को निर्देशित करने का अनुरोध किया। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 के अधिवक्ता ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने करीब 19 वर्ष बाद प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का कोई स्पष्टीकरण धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में नही दर्शाया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील कानूनन परिपोषणीय नही है। यह कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 प्रश्नगत भूमि के न तो रेकर्डेड खातेदार है और न ही उनका व उनके पूर्व रसाधिकरीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही रहा है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 के पूर्व रसाधिकारी मगा पुत्र वालाजी माली, निवासी— जावाल द्वारा दिनांक 10.10.1985 को अपना 2/15 वां हक हिस्सा का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 722/895 के द्वारा प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा पिसरान छोगाजी माली, निवासी— जावाल को किया गया था तथा इसके पूर्व वर्ष 1983 में दिनांक 02.7.1983 को जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के मगा पुत्र वालाजी द्वारा अपना 1/15 वां हक हिस्सा ओमकार पुत्र श्री अदाजी को सप्रतिफल विक्रय कर दिया था। इस प्रकार अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी 4 से 6 के पूर्व रसाधिकारी मगा पुत्र वालाजी माली द्वारा अपना समपूर्ण 1/5 वां हिस्सा दो अलग अलग पंजीकृत बेचान दस्तावेजों के द्वारा विक्रय कर दिया जाने से अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा, स्वत्व, अधिकार व कब्जा नही है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 सर्वथा अजनबी व बाहरी व्यक्ति है। जिनकी उक्त भूमि में अब कोई Locus standai है। यह कि उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 722/85 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2215 दिनांक 11.3.2004 को स्वीकृत किया गया है तथा पंजीकृत विक्रय विलेख के विधि सम्मत होने व अस्तित्व में रहते हुए प्रश्नगत नामान्तरकरण को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। यह कि मगाजी पुत्र वालाजी द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा उक्त दोनों पंजीकृत विलेख द्वारा विक्रय कर दिया जाने के बाद से मगा पुत्र वालाजी व उनके उत्तराधिकारियों का उक्त कृषि भूमि में अब कोई कानूनन हक अधिकार नही है एवं न ही मौके पर इनका कब्जा है। मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा 2 व 3 के उत्तराधिकारी काबिज काश्त है। यह कि पंजीकृत बेचान दस्तावेज में टंकण की त्रृटिवश खसरा संख्या 561 के स्थान पर 561 मी अतिरिक्त शब्द टंकित हो गया है, परन्तु रकबा सही रुप से अंकित किया हुआ है। यह कि नरपतसिंह ने राजस्व वाद सहायक कलक्टर, सिरोही में कृषि भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 22.6.2000 को अवश्य प्रस्तुत किया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का पक्षकार बतौर सह खातेदार होना स्वीकार है। चूंकि प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 2215 दिनांक 11.3.2004 पंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 10.10.1985 के आधार पर स्वीकृत हुआ है। इस वास्ते नरपतसिंह के उक्त दावें में विक्रय विलेख 1985 के बाद भी करीब 19 वर्षो तक राजस्व रेकर्ड में नाम चलता रहा। मगर प्रश्नगत आराजी में स्वर्गीय मगा पुत्र वालाजी का हक हिस्सा 1985 में ही भूमि का बेचान कर देने से समाप्त हो चुका था। यह कि मगा पुत्र वालाजी माली द्वारा अपना 1/15 वां हिस्सा वर्ष 1983 में दिनांक 02.7.1983 को पंजीकृत बेचान दस्तावेज के द्वारा ओमकार पुत्र अदाज़ी को विक्रय कर दिया था लेकिन इस पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 02.7.1983 का नामान्तरकरण दर्ज नही होने के कारण राजस्व रेकर्ड में मगा पुत्र वालाजी माली का 1/5 वां हि[illegible] विक्रय विलेख संख्या 722/85 दिनांक 10.10.1985 में विक्रेता मगा पु[illegible] माली का 1/5 हिस्सा सहवन से दर्ज हुआ। प्रत्यर्थी उका [illegible] माली द्वारा उक्त श्री ओमकार पुत्र अदाजी को 1/15 वां हिस्सा [illegible] विलेख दिनांक 02.7.1983

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested

के द्वारा विक्रय किये जाने की पूर्व से जानकारी नही थी। यह कि उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 722/85 दिनांक 10.10.1985 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2215 दिनांक 11.3.2004 के द्वारा मगा पुत्र वालाजी माली, निवासी– जावाल के 2/15 हक हिस्से का ही नामान्तरकरण दायर होकर स्वीकृत हुआ है, जो विधि अनुरुप है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 722/85 दिनांक 10.101985 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2215 दायर होकर दिनांक 11.3.2004 को स्वीकृत किया गया है।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के पुराने खसरा संख्या 556/1 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा, 557 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 560 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा, 561 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा, 556/1501 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 561/1502 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, 558 रकबा 14 बिस्वा व 559 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 73 बीघा 2 बिस्वा भूमि में मगा पुत्र वालाजी के दर्ज 2/15 हक हिस्से की भूमि के संबंध में पंजीकृत विक्रय संख्या 722/85 दिनांक 10.10.1985 के आधार पर प्रत्यर्थी सांकला, उका व रुपा पिसरान छोगाजी के पक्ष में हल्का पटवारी, जावाल द्वारा नायब तहसीलदार, सिरोही के आदेश क्रमांक/04/13 दिनांक 03.1.2004 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 2215 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 11.3.2004 को स्वीकृत किया गया। नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 2215 दिनांक 11.3.2004 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.1.2023 को प्रस्तुत की है जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2215 दिनांक 11.3.2004 को निरस्त कराने हेतु यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2215 दिनांक 11.3.2004 के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 22.12.2022 को जानकारी होना अंकित करते हुए जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अपीलार्थी ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसके विपरित तथ्यों का कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही हुआ है एवं न ही धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 के पिता मगा पुत्र वालाजी माली, निवासी– जावाल द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के पुराने खसरा संख्या 556/1 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा, 557 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 560 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा, 561 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा, 556/1501 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 561/1502 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, 558 रकबा 14 बिस्वा व 559 [illegible] 8 कुल रकबा 73 बीघा 2 बिस्वा भूमि में दर्ज स्वयं के हक हिस्से की भूमि [illegible] विक्रय विलेख संख्या 722/85 दिनांक 10.10.1985 के [illegible] छोगाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज सात पर

माली, निवासी— जावाल को कीमतन विक्रय कर कब्जा सुपर्द कर दिया था एवं इस पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 722/85 दिनांक 10.10.1985 के आधार पर नायब तहसीलदार, सिरोही के उक्त आदेश क्रमांक/04/13 दिनांक 03.1.2004 की पालना में हल्का पटवारी, जावाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2215 दायर किया गया जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 11.3.2004 को स्वीकृत किया गया है। चूंकि मगा पुत्र वालाजी माली, निवासी— जावाल द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान क्रेता प्रत्यर्थी उका, सांकला व रुपा पिसरान छोगाजी माली, निवासी— जावाल को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.10.1985 से कर दिया है। ऐसी स्थिति में, मगा पुत्र वालाजी माली, निवासी— जावाल के उत्तराधिकारियों का उक्त कृषि भूमि में अब कोई हक अधिकार नही रहा है। यदि अपीलार्थी को उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 722/85 दिनांक 10.10.1985 के संबंध में किसी प्रकार की कोई उजर ऐतराज है तो अपीलार्थी को सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.10.1985 के अस्तित्व में रहते हुए प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2215 दिनांक 11.3.2004 को निरस्त नही किया जाना विधि अनुरुप नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिसके जरिये अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। हक अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ही करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested